राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1799/2006

किशन लाल पुत्र श्री पन्ना लाल, अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम सेः

1. श्रीमती सरोज, आयु लगभग 39 वर्ष (स्वर्गीय श्री केसरी सिंह की विधवा) पुत्री स्वर्गीय श्री किशन लाल, निवासी- पुराने गिनानी, बीकानेर (राज)।

2. श्रीमती मीना, आयु लगभग 32 वर्ष (पत्नी श्री जितेंद्र) पुत्री स्वर्गीय श्री किशन लाल, निवासी -जस्सुसर गेट के पास, वैद्य मघरम कॉलोनी, बीकानेर (राज)।

3. बृज मोहन, आयु लगभग 45 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री किशन लाल, निवासी- रानीसर बास, एम. एस. कॉलेज के पीछे, बीकानेर (राज)।

4. जगदीश, आयु लगभग 42 वर्ष है, पुत्र स्वर्गीय श्री किशन लाल, निवासी -रानीसर बास , एम. एस. कॉलेज के पीछे, बीकानेर (राज)---याचिकाकर्ता।

बनाम

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अपने रजिस्ट्रार, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) के माध्यम से---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री नरपत सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए:- श्री डी. एस. राजवी।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

17/01/2024

1. याचिकाकर्ता ने इस मामले में दिनांक 09.03.2006 (एलपीसी) (अनुलग्नक 16) के आदेश/सूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का मूल वेतन कम कर दिया गया था और रु. 1,24,704/- की वसूली की मांग की गई थी।

2. पहले प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख किया जाये। याचिकाकर्ता को 27.11.1961 दिनांकित आदेश के माध्यम से प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अधीन एक डेयरी रिकॉर्डर के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, 12.06.1967 के एक आदेश के अनुसार 24.11.1962 से याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि की गई। प्रतिवादी ने तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता का चयन किया गया और दिनांक 20.01.1986 के आदेश के माध्यम से उक्त पद पर नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आश्वस्त कैरियर प्रगति (ए. सी. पी.) की योजना को अपनाया। याचिकाकर्ता को दिनांक 16.03.1998 के एक आदेश के अनुसार 27 साल की सेवा पूरी करने पर तीसरे चयन वेतनमान का लाभ दिया गया था। सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर, याचिकाकर्ता को 30.06.2003 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 06.09.2005 को एक संदेश भेजा गया, जिसमें चयन श्रेणी के गलत अनुदान के कारण उसे वेतन के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.09.2005 को भेजे गए पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि उसे उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 24.11.1961 से उसकी सेवाओं की गणना करके चयन वेतनमान प्रदान किया जाना उचित था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

3. प्रत्यर्थी ने रिट याचिका का जवाब दाखिल किया और उसमें

किए गए दावों को खारिज कर दिया। जवाब में कहा गया कि याचिकाकर्ता का वेतन गलत तरीके से तय किया गया था।

4.मामले सुनवाई की गयी।

5. यह एक स्वीकृत मामला है, जैसा कि पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की गई है, कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या नहीं की गई थी, जिसके कारण गलती से संबंधित समय पर उच्च वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित किया गया था। जब विभाग को अपने आप गलती का पता चला, वह भी याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद, तब रुपये 1,24,704/- की राशि की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

6. इस आधार पर, याचिकाकर्ता का मामला, जो प्रासंगिक समय में तकनीकी सहायक (श्रेणी-II पद) के पद पर काम कर रहा था, पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) [ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 696] के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

7. केवल इसी संक्षिप्त आधार पर रुपए 1,24,704/- की वसूली हेतु जारी किये गए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

8. तदनुसार, याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है।

9. किसी भी अन्य लंबित आवेदन का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।